



जोधपुर

विद्युत वितरण
निगम लि०

(सचिव प्रशासन)

ADMN-8

क्रमांक:- प्रनि/जोध.डि./अनु-सचिव(प्रशासन)/प्रे०सं०/330दि. 6-2-2006

परिपत्र

समन्वय समिति की 89वीं की बैठक दिनांक 29.30 दिसम्बर 2005 के निर्णय अनुसार सभी अधिकारियों को लम्बित जांच प्रकरणों में निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाते हैं:-

1. अधिकारी/कर्मचारी को सक्षम अधिकारी द्वारा निलम्बित किया जावे, तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को एक माह के भीतर आवश्यक रूप से आरोप पत्र दिया जाए।
2. अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कर्मचारी वर्गीकरण नियन्त्रण एवम् अपील 1982 की धारा 6 के अन्तर्गत कार्यवाही लम्बित है, तो उसका निस्तारण 6 माह की अवधि में निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाए।
3. अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कर्मचारी वर्गीकरण नियन्त्रण एवम् अपील 1982 की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही लम्बित है, तो उसका निस्तारण 1 वर्ष की अवधि में निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाए।

दी. ला. धर्षी
(वीना लाहोटी)

सचिव (प्रशासन)

जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. अध्यक्ष, जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
3. वित्तीय सलाहकार एवं लेखा नियन्त्रक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
4. संगीय मुख्य अभियन्ता (जो.जोन/बी.जोन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
6. आंतरिक पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता (), जोधपुर डिस्कॉम,
8. उपनिदेशक कार्मिक (), जोधपुर डिस्कॉम,
9. कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
10. प्राथमिक सहायक (प्रबन्ध निदेशक), जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/जोधपुर।
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी (), जोधपुर डिस्कॉम,
12. अधिशाषी अभियन्ता (), जोधपुर डिस्कॉम,
13. कार्मिक अधिकारी (), जोधपुर डिस्कॉम,
14. लेखाधिकारी (), जोधपुर डिस्कॉम,
15. सहायक अभियन्ता (), जोधपुर डिस्कॉम,
16. जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
17. व्यक्तिगत पत्रावली।

दी. ला. धर्षी
सचिव (प्रशासन)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर